न्यायालयः- राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

(समक्ष केम्प कोर्ट इन्दौर)

क्रमांक :- R 2285 PBR/14 प्रस्तुत दिनांक :- 15/7/2

रूपचंद पिता बाबु जाति बलाई
निवासी ग्राम शिवना तहसील झिरन्या जिला खरगोन म.प्र. -- आवेदक

श्री आशीष चौबे अभिभाषक द्वारा कैम्प इन्दौर पर प्रस्तुत। 16/7/14

-: वि रु द्ध :-

लखन पिता रतनलाल जाति चमार
निवासी दुल्हारफाटा तहसील पंधाना जिला खण्डवा म.प्र. -- अनावेदक

-: पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत :-

18-7-2014

आवेदक की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि सदर पुनरिक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, झिरन्या के राजस्व प्रकरण क्रमांक 2A70/2013-14 में दिनांक 04-07-2014 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अनावेदक का अंतरिम आवेदन धारा 32 का अस्वीकार कर निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर यह पुनरिक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर रूपचंद / लखन

अनुसूचित आदेश पत्र

[illegible] ९२४७७—पीबीआर / 2014   जिला [illegible]

आदेश दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]—7—2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक [illegible]—2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका वर्षों पुराना कब्जा है इसलिये संहिता की धारा 250 आकर्षित नहीं होती है [illegible] प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाय। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसम्मत है कि प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वामित्व की भूमि है और उसे कब्जा वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। [illegible] प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य नहीं हुआ है, तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र निरस्त करने के आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह [illegible] ग्राह्यहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	